



अध्याय III सेनवेट क्रेडिट का उपयोग

इस अध्याय में, हमने वे मामले सूचित किए हैं जिनमें निर्धारितियों ने नियमों के विरुद्ध अपने संचित क्रेडिट में से शुल्क (उपयोगिता) का भुगतान किया जिसके फलस्वरूप ₹ 257.31 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

3.1 अनुपयोगिता क्रेडिट का हस्तांतरण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को धारा 5ए में उप धारा (1 ए) शामिल होने से 13 मई 2005 से उत्पादकर्ता के लिए आवश्यक कर दिया गया है कि वह छूटप्राप्त माल पर शुल्क अदा न करे। बोर्ड ने भी 4 जनवरी 1991 (परिपत्र सं.02/91 सीएक्स-3) को यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारितियों के पास माल के बारे में जो शुल्क के भुगतान से पूर्णतयः मुक्त है को अपनी इच्छा पर भी शुल्क अदा करने का विकल्प नहीं है।

प्रावधानों के अनुसार कानूनन उदग्रहीय न होने पर यदि कोई राशि उत्पादशुल्क के रूप में अदा की जाती है तो वह सरकार के पास जमा के रूप में रहेगी तथा इस प्रकार ऐसे अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर क्रेडिट लेना गलत होगा। हमने पाया कि नौ कमिश्नरियों में 21 उत्पादक इकाइयों ने अप्रैल 2003 तथा मार्च 2008 के दौरान शुल्क की वास्तविक प्रभावी दर से अधिक दर पर शुल्क का भुगतान करके छूटप्राप्त माल पर शुल्क का भुगतान करके या शून्य की दर से प्रभारित माल से या अधिक मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने आदि विभिन्न तरीकों के माध्यम से अधिक भुगतान करके प्राप्त ₹ 143.46 करोड़ के अनुपयोगित क्रेडिट को अपनी सहयोगी इकाइयों या अपने अधीन उत्पादकों को दिया। एक निर्धारितियों जो अपने सेनवेट क्रेडिट का उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाया वह अपने अधीन इकाइयों को क्रेडिट हस्तांतरित करके लाभ उठाने के लिए यह प्रक्रिया अपना सकता है। वह अपने संचित सेनवेट क्रेडिट जिसका लम्बी अवधि तक उपयोग न होता के लिए (अधीन इकाई से प्राप्त शुल्क घटक) नकदी प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में यह अपने संचित क्रेडिट को नकद करने का तरीका है। विभाग ने ₹ 8.36 लाख के क्रेडिट वाले दो मामलों में आपत्ति को स्वीकार किया था तथा ₹ 9.14 लाख (ब्याज सहित)की वसूली की सूचना दी थी। बाकी मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

इस प्रकार के दो मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:-

3.1.1 हाई कार्बन फ़ैरो क्रोम, कैलसाईन्ड एलुमिना इत्यादि के निर्माण में लगे भुवनेश्वर I कमिश्नरी में मै. जिन्दल स्टेनलैस लिमिटेड, तथा मै. वेदान्त एलुमिनियम लिमिटेड, तथा भुवनेश्वर II कमिश्नरी में मै. हिन्दलको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ने अपने तैयार माल के बड़े हिस्से की निकासी अपनी सहायक इकाइयों को आगे निर्माण में प्रयोग करने तथा बकाया को निर्यात करने के लिए की। तैयार माल की थोड़ी सी मात्रा

की ग्राहकों को सीधी बिक्री के लिए निकासी की गई। चूँकि तैयार माल की ज्यादा निकासी सहायक इकाइयों तथा निर्यात के लिए की गई थी, संचित सेनवेट क्रेडिट के उपयोग की संभावना बहुत ही कम थी। निर्धारिती ने सहायक इकाइयों को स्थानांतरित माल पर लागू मूल्य (लागत का 110 प्रतिशत) से बहुत अधिक दर से शुल्क अदा किया। 2005-06 से 2007-08 के वर्षों के दौरान यह ₹ 58.76 करोड़ तक का सेनवेट क्रेडिट भेजने में सफल रहा। देय शुल्क से अधिक्य शुल्क का भुगतान जमा बना था तथा इसीलिए, सहायक इकाइयों द्वारा क्रेडिट का लिया जाना ठीक नहीं था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2008, फरवरी तथा मार्च 2009), विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2009 कि मै. जिन्दल स्टेनलैस लिमिटेड तथा मै. वेदान्ता एल्मुनियम लिमिटेड के मामलों में राजस्व की हानि नहीं हुई थी। मै. हिन्डालकों इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में, विभाग ने कहा (दिसम्बर 2010) कि तैयार माल के अतिमूल्यन हेतु क्रेडिट को वापिस करने का कोई प्रावधान सेनवेट क्रेडिट नियमावली में न था।

विभाग का उत्तर धारा 5ए (1 ए) तथा बोर्ड के 4 जनवरी 1991 के स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त जैसा पहले ही बताया जा चुका था, यह संचित सेनवेट क्रेडिट को भुनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था।

3.1.2 रायपुर कमिश्नरी में, मै. जयसवाल नेको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मै. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, मै. श्री नाकोदा इस्पात लिमिटेड, मै. एसकेएस इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, तथा मै. बन्दना ग्लोबल लिमिटेड, ने आयरन ओर, आयरन ओर पेलेट्स तथा क्रोम ओर कन्संट्रेट पर प्रदत्त शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट लिया। ये उत्पाद शुल्क की शून्य दर पर प्रभारित थे। इस प्रकार निर्धारितियों द्वारा अपनी इच्छा से प्रदत्त शुल्क उपरोक्त धारा 5ए के प्रावधानों के विपरीत था तथा इसे सरकार के पास जमा के रूप में माना जाना था जिसके लिए वे क्रेडिट नहीं ले सकते थे। इस प्रकार 2005-06 तथा 2007-08 के वर्षों के दौरान लिया गया ₹ 7.45 करोड़ का क्रेडिट गलत था जिसे वसूल किया जाना चाहिए।

इस आपत्ति को बताए जाने पर (अप्रैल 2008 तथा अप्रैल 2009 के बीच) विभाग ने कहा (अक्टूबर 2008 तथा मार्च 2009 के बीच) कि उत्पादनकर्ता को प्रदत्त शुल्क का क्रेडिट लेने से सेनवेट क्रेडिट नियमावली रोकती नहीं है क्योंकि सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं।

विभाग का उत्तर धारा 5ए (1 ए) तथा बोर्ड के 4 जनवरी 1991 के स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं था। ।

सिफारिश सं. 7

- सरकार को शुल्क के अधिक भुगतान के मामलों में अधीन इकाइयों द्वारा सेनवेट क्रेडिट लिए जाने को नियंत्रित करने तथा रोकने के लिए निदेश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

एक्जिट कान्फ्रैन्स में बोर्ड इन विषयों पर स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमत हुआ। उसने कहा कि मामले पर क्षेत्रीय कार्यालयों से चर्चा की जाएगी तथा जहाँ जानबूझ कर क्रेडिट दिलवाना देखा जाएगा, अधिक लिए गए क्रेडिट की वापसी करवाई जाएगी।

3.2 इनपुट सेवाओं पर कर के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 3(4) में परिकल्पित है कि सेनवेट क्रेडिट का उपयोग आउटपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान के लिए किया जाए। बोर्ड ने भी स्पष्ट किया (22 अगस्त 2007) कि सेनवेट क्रेडिट का उपयोग इनपुट सेवाओं पर कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता।

हमने देखा कि कुछ निर्धारितियों ने जीटीए सेवाओं तथा विदेशी सेवा प्रदायकों से प्राप्त सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। उन्होंने इस सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग बाद में प्राप्त इनपुट सेवाओं के कर के भुगतान के लिए किया जोकि नियमों के अनुसार अनुमत नहीं था।

हमने देखा कि 19 कमिश्नरियों में 32 निर्धारितियों ने प्राप्त जीटीए सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए ₹ 4.35 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया गया तथा इसी प्रकार 6 कमिश्नरियों में 6 निर्धारितियों ने ₹ 1.95 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग तकनीकी सेवाओं, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं, प्रबन्धन तथा वैज्ञानिकी परामर्श सेवाओं, विदेशी सेवाओं से प्राप्त बुद्धिजीवी परिसम्पदा अधिकार सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में सेवा कर के भुगतान के लिए किया। चूँकि ये इनपुट सेवाएं थी, सेनवेट खाते से भुगतान अनियमित था।

आपत्तियाँ इंगित किए जाने पर (मई 2007 तथा अप्रैल 2009 के बीच), विभाग ने 20 मामलों में ₹ 4.33 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की तथा नौ मामलों में ₹ 92.65 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी। 12 अन्य मामलों में, उसने ₹ 2.60 करोड़ के कारण बताओ ज्ञापन जारी होने की सूचना दी। हाँलाकि, दो मामलों (नागपुर तथा रायपुर कमिश्नरियाँ) में उसने कहा (सितम्बर 2008) कि मै. नाहर एक्सपोर्ट लिमिटेड {2008(9) एसटीआर 252 (टी)दिल्ली} के मामले में सैस्टेट के निर्णय के अनुसार क्रेडिट स्वीकार्य था। उत्तर बोर्ड के स्पष्टीकरण (22 अगस्त 2007) कि इनपुट सेवाओं पर कर के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट के प्रयोग मना हैं के अनुरूप न था। बाकी मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

सिफारिश सं. 8

➤ विभिन्न कमिश्नरियों द्वारा विभिन्न मत होने के मद्देनजर बोर्ड को मामले को सफ़्ट करना चाहिए।

एक्जिट कान्फ्रैन्स में, बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न मतों की जाँच तथा एक समान क्रिया अपनाने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने को सहमत हुआ।

3.3 उपकर तथा शुल्क के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अन्तर्गत, शिक्षा उपकर (ईसी) माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचई) तथा राष्ट्रीय आपदा आक्समिक निधि उपकर (एनसीसीडी) को क्रेडिट का उपयोग क्रमशः शिक्षा उपकर, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर तथा राष्ट्रीय आपदा आक्समिक शुल्क के लिए किया जा सकता है। सीमाशुल्क के सेनवेट क्रेडिट नियमावली के अन्तर्गत उल्लेख न होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

हमने पाया कि 20 कमिश्नरीयों में 63 निर्धारितियों ने एनसीसीडी के भुगतान के लिए उत्पादनशुल्क के क्रेडिट का तथा एसएचई उपकर तथा सेवा कर के भुगतान के लिए ईसी के क्रेडिट का प्रयोग किया था। सीमाशुल्क के क्रेडिट का भी उपयोग किया गया था, जो कि अनुमत नहीं था। कुल मिलाकर ₹ 89.11 करोड़ के क्रेडिट का गलत तरीके से उपयोग किया गया। विभाग ने ₹ 71.80 लाख वाले 20 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली तथा 35 मामलों में ₹ 97.67 लाख की वसूली की सूचना दी।

दो मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं: -

3.3.1 गुड़गाँव कमिश्नरी में, मै. मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड को 2005-06 से 2007-08 के वर्षों के दौरान अन्तिम उत्पादों की निकासी के लिए ₹ 347.48 करोड़ के एनसीसीडी का भुगतान करना था। इस राशि के प्रति, निर्धारितियों ने ₹ 265.58 करोड़ नगद (पीएलए) में, एनसीसीडी क्रेडिट खाते से ₹ 3.80 करोड़ का तथा बाकी ₹ 78.10 करोड़ को उत्पादशुल्क के सेनवेट क्रेडिट से भुगतान किया। इस प्रकार एनसीसीडी के भुगतान के लिए ₹ 78.10 करोड़ के उत्पाद शुल्क के क्रेडिट का उपयोग अनियमित था तथा इसका नकद भुगतान होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को बताए जाने पर (अक्टूबर 2005 तथा जनवरी 2009), विभाग ने नवम्बर 2005 से अगस्त 2008 की अवधि के लिए ₹ 113.91 करोड़ की वसूली के लिए तीन कारण बताओ ज्ञापनों के जारी किए जाने की सूचना दी (नवम्बर 2006 से अक्टूबर 2008)।

3.3.2 भुवनेश्वर I कमिश्नरी में, मै. जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड, तथा मै. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चिन कमिश्नरी में मै. केईएल मनीला, हैदराबाद I कमिश्नरी में मै. फेनोपलास्ट लिमिटेड, हैदराबाद II कमिश्नरी में मै. यूनी एडस प्रा. लिमिटेड, तथा जयपुर I कमिश्नरी में मै. एसीसी लिमिटेड लखेरी ने जून 2005 से मार्च 2008 की अवधि के बीच में ₹ 40.50 लाख की राशि शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट को लिया। इन निर्धारितियों ने क्रेडिट का उपयोग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपकर/सेवा कर/उत्पादशुल्क के भुगतान के लिए किया, जो कि गलत था।

इसे बताए जाने पर (अप्रैल 2008 तथा मार्च 2009 के बीच), मै. केईएल मनीला तथा मै. एसीसी लिमिटेड लखेरी ने ब्याज सहित ₹ 6.40 लाख की राशि का भुगतान कर

दिया। विभाग ने मै. यूनी एडस प्रा.लिमिटेड तथा मै. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया(अप्रैल 2009) तथा ₹ 8.02 लाख की वसूली की सूचना दी (अप्रैल 2009/मार्च 2009)। मै. फैनोप्लास्ट लिमिटेड, (यूनिट II) के मामले में, विभाग ने आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा सूचना दी कि शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर का उपयोग 12 मई 2007 से अस्वीकार्य था, इसलिए मई 2007 के बाद उपयोग की गई राशि की वसूली के लिए निर्धारित के लिए निदेश दिया जाएगा। विभाग के आगे के उत्तर की प्रतिक्रिया थी (दिसम्बर 2010)।

3.4 पूर्वजमाओं, बकायों आदि अनिर्धारित उद्देश्यों के लिए क्रेडिट का उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4) में परिकल्पित है कि सेनवेट क्रेडिट का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान हेतु किया जा सकता है

- (i) किसी अन्तिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क, या
- (ii) यदि इनपुट की उसी रूप में अथवा कुछ प्रक्रिया करने के बाद निकासी की जाती है तो उन इनपुट्स पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि; अथवा
- (iii) उसी रूप में निकासित पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के समान राशि; या
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 16 के उपनियम (2) के अन्तर्गत कोई राशि; अथवा
- (v) किसी आउटपुट सेवा पर सेवा कर

हमने देखा कि छः कमिश्नरियों में, आठ निर्धारितियों ने बकाया के, पूर्व जमा के अथवा वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए भुगतान के लिए ₹ 18.43 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग किया था। विभाग ने ₹ 21.47 लाख के तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया तथा पूरी राशि की वसूली की सूचना दी।

एक उदाहरणात्मक मामले पर चर्चा नीचे की जाती है:-

3.4.1 हैदराबाद II कमिश्नरी में, मण्डपकीपर, ड्राईक्लीनिंग, हैल्थ क्लब आदि की सेवा प्रदान करने में लगे मै.वायसराय होटल्स लिमिटेड; ने देय सेवा कर के एक भाग को देय राशियों पर सेनवेट क्रेडिट खाते से अदा किया तथा बकाया ₹ 12.45 लाख को नवम्बर 2007 तथा दिसम्बर 2007 के मासिक विवरणों में ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाया। जनवरी 2008 के अन्त में इस ऋणात्मक शेष को इनपुट क्रेडिट के उपचित होने पर बाद में समायोजित कर लिया गया जो कि अनियमित था। उपरोक्त दोनों महीनों के बकाया ₹ 12.45 लाख के सेवा कर की पूरी राशि जनवरी 2008 के क्रेडिट के प्रति

अनियमित रूप से समायोजित कर ली गई थी जिसे ब्याज सहित वसूला जाना चाहिए था।

जब हमने यह इंगित किया (जनवरी 2009), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया तथा सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 1.96 लाख के ब्याज सहित ₹ 12.45 लाख के सेवा कर का भुगतान कर दिया था।

नई दिल्ली
दिनांक:

(सुवीर मल्लिक)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक